GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 1888
TO BE ANSWERED ON 14.03.2022

NEW PENSION FOR EMPLOYEES OF EPFO

1888. DR. BHARATIBEN DHIRUBHAI SHIYAL:
SHRI RAVNEET SINGH BITTU:
SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY:
SHRI RODMAL NAGAR:
SHRI MANNE SRINIVAS REDDY:
SHRI Y.S. AVINASH REDDY:
SHRI V.K.SREEKANDAN:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Government proposes to introduce pension for the employees of EPFO covered organized sectors getting more than Rs. 15000/- as basic salary;
(b) if so, the details thereof along with the time by which the said scheme is likely to be started; and
(c) the details of the features of the said scheme along with benefits the pensioners are likely to get from the said scheme;
(d) whether there has been demand for higher pension on higher contributions among the members of EPFO; and
(e) if so, the details thereof along with the other measurers being taken by EPFO for the benefit of employees?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)

(a): No, Sir.

(b) & (c): Does not arise.

(d) & (e): The issue of granting higher pension under the Employees' Pension Scheme, 1995 is sub-judice in the Hon'ble Supreme Court of India.

Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) has taken various measures for the benefit of employees which, inter-alia, include online claim settlement, provision of e-nomination, settlement of pension claims on the date of retirement, and organising Pension Adalats.

****

www.govtstaff.com

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1888

सोमवार, 14 मार्च, 2022/23 फाल्गुन, 1943 (शक)

ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन

1888. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:
श्री रवनीत सिंह:
श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी:
श्री रोड़मल नागर:
श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:
श्री वाई.एस.अविनाश रेड्डी:
श्री वी.के.श्रीकंदन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ईपीएफओ के अन्तर्गत कवर किए गए संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों, जो मूल वेतन के रूप में 15000/- रूपये से अधिक प्राप्त कर रहे हैं, के लिए पेंशन शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त योजना से पेंशनभोगियों को मिलने वाले लाभों के साथ उक्त योजना की विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ईपीएफओ के सदस्यों में उच्च अंशदान पर उच्च पेंशन की मांग की गई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों के लाभार्थ अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): जी नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ड.): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत अधिक पेंशन देने का मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों के लाभ के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, ऑनलाइन दावे का निपटान, ई-नामांकन का प्रावधान, सेवानिवृत्ति की तारीख पर पेंशन दावों का निपटान और पेंशन अदालतों का आयोजन शामिल है।

****

www.govtstaff.com